न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **180 / 2025** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. धनसिंह पुत्र जवारसिंह 2. भेरूसिंह पुत्र जवारसिंह 3. हनुमानसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी लखा तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 02.07.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा लीकड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 331/41 रकबा 5.5927 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से बिना किसी शर्त के राज्य सरकार के पक्ष में 05 बिस्वा भूमि समर्पण की गई है, जिसके खसरा नम्बर 307/41 रकबा 0.0405 हैक्टेयर है। उक्त समर्पित भूमि में ग्राम पंचायत बालासर द्वारा सरकारी योजनांतर्गत सार्वजनिक टांके का निर्माण कार्य करवाया हुआ है, जो वर्तमान में भी मौके पर मौजुद है। उक्त समर्पित विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर सार्वजनिक टांका एवं कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एवं सार्वजनिक टांका प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर सार्वजनिक टांका व कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर बने सार्वजनिक टांका स्थल अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर जांच की गई, जिसमें मौके पर बने सार्वजनिक टांका स्थल एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। राजस्व रेकर्ड मे खसरा नम्बर 307/41 सार्वजनिक टांका हेतु समर्पित भूमि का खसरा है, जबकि सार्वजनिक टांका खसरा नम्बर 331/41 में बना हुआ है जिसे मौका फर्द के संलग्न नक्शा में बरंग लाल अनुसार तरम[illegible] प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस [illegible] आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे [illegible] किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में [illegible] लाल अनुसार तरमीम [illegible] का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:05:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त एवं मौके पर बने सार्वजनिक टांके अनुसार होने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट में विवादित आराजी के खसरा नम्बर 307/41 व 331/41 की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार तरमीम दुरस्ती को उचित बताया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने मे कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लीकड़ी, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 331/41 रकबा 5.5927 हैक्टेयर एवं समर्पित भूमि के खसरा नम्बर 307/41 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा में बरंग लाल अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव * जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 02.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:05:01 IST
Reason: SelfAttested